

(Bihar Act 13, 2006)
THE BIHAR FISH JALKAR MANAGEMENT BILL –
2006

AN
AC
T

to provide for provisions for settlement of Jalkars relating to the Department of Animal Husbandry and Fisheries, Bihar, Patna.

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Fifty seventh year of the Republic of India as follows :-

1.Short title, Extent and Commencement –

- (i) This Act may be called The Bihar Fish Jalkar Management Act, 2006.
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions :- In this Act, unless the context otherwise requires :-

- (i)“Disqualified Fishermen Co-operative Society” means a Society which is found disqualified by District Fisheries Officer.
- (ii)“Applicant Fisherman” means a fisherman who has submitted an application to the Society for the Settlement of Jalkars.
- (iii)“Jalkar” means Tank, Pokhar, Ahar, River, water course channel, ‘Chaur’, ‘Dhav’, reservoir Lake, Ox-bow lake etc. under Department of Animal Husbandry and Fisheries, Bihar, in which Makhana, Singhara & fish is reared.
- (iv)“Water area” means total area of said Jalkar recorded in the Revenue Khatiyan record;
- (v)“District Fisheries Officer” means District Fisheries Officer-cum-Chief Executive Officer, Fish Farmers Development Agency notified by Government.
- (vi)“Family” means husband-wife, minor son and unmarried daughter.
- (vii) “Settlement Year” means a period from First July to 30th June but for Singhara, Makhana-cum-fish Jalkars, this period would be from 1st October to 30th September.
- (viii) “Fishermen” means the person who is a professional fisherman engaged in fishing and fish culture.
- (ix) “Fishermen Co-operative Society” means a Fishermen Co-operative Society at Block level registered under Bihar Co-operative Societies Act 1935 and Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act 1996 in which the members are only Fisherman
- (x) “Fishing Zone” means the water area in which fishing is possible.
- (xi) “Limited Bid” means bid in which only resident fishermen of a defined Block may participate.
- (xii) “Trained Fisherman” means fisherman trained by fisheries department.
- (xiii) “Self Help Group” means a group of Fisherman.
- (xiv) “Managing Committee” means the committee which is constituted, consisting of following members :-
 - (a) Collector - Chairman
 - (b) Deputy Development Commissioner - Vice – Chairman (c)

- Additional Collector - Member
- (d) Deputy Director Fisheries (Range) - Member
- (e) District Co-operative Officer - Member
- (f) Local District Lead Bank Officer - Member
- (g) A representative of a Fishermen - Member
Co-operative Society nominated
by Government
- (h) A representative of active Fishermen - Member
nominated by the Government
- (i) District Fisheries Officer - Member Secretary
- (xv) “Reserve Deposit Fixation Committee” means a Committee in which there shall be the following members :-
- (a) Deputy Director, Fisheries (Range) - Chairman
- (b) A representative of a Fishermen - Member
Co-operative Society nominated
by Government
- (c) A representative of active Fishermen - Member
nominated by the Government
- (d) District Fisheries Officer - Member Secretary

3. List of Jalkars and Classification :-

- (i) Block wise list of all Jalkars under Fisheries Directorate shall be compiled in the District Fisheries Office in which Panchayatwise, village-wise, name of Jalkars, Khatiyani area, watershed area, production and reserve deposits are mentioned.
- (ii) On the basis of water-shed area and production capacity of Jalkars, classification of Jalkars in three categories – Fine, medium and low-shall be made by District Fisheries Officer.

4. Reserve Deposit :-

- (i) The reserve jama fixation committee shall assess annual production capacity of Jalkars after every five years evaluating the annual production data of all the Jalkars, placed by the District Fisheries Officer, which shall not be less than the production capacity of different type of Jalkars communicated every year, by Director Fisheries.

Provided that the Director, Fisheries shall have the right to order for re-evaluation of the annual production capacity of any Jalkar before the period of five years.

- (ii) The Reserve Deposit Fixation Committee will fix the Government selling price of different types of aqua- product, after every five years evaluating the data of the market selling rate of different types of aqua-product placed by the District Fisheries Officer.
- (iii) Reserve deposit amount of all Jalkars will be fixed by ‘Reserve Deposit Fixation Committee’ on the basis of fixed production capacity and selling price after five years.

Provided that the annual reserve deposit amount of any Jalkar will not be more than 15% or less than 10% of the value of its annual production.

- (iv) The ‘Reserve Deposit Fixation Committee’ shall have the right to fix any percentage, which is not more than five percent, for the annual enhancement of Reserve Deposit amount. As per percentage fixed by the committee, fixation of

Reserve Deposit amount in next four years will be fixed by the District Fisheries Officer.

5. Settlement :-

- (i) The short term settlement of Jalkars will be done for five settlement years after the approval of competent authority as mentioned in sub-section (ii) of Section 7 of this Act.
- (ii) The long term settlement of Jalkars will be done for ten settlement years after the approval of the Collector.
- (iii) Notwithstanding anything contrary contained in this Act, the Director Fisheries with the prior approval of Government, may settle such Jalkars which have been developed or are being developed or have been taken decision to be developed under any scheme of Government/Financial Institution/Bank for a maximum period of ten settlement years, with Fishermen Co-operative Society.

6. Long Term Settlement :-

- (i) A long term settlement of Jalkars of water area up to four hectares shall be done only with trained fishermen/ or trained fishermen self help group selected by the 'Managing Committee'. The long term settlement may be done of only those Jalkars which fulfill at least one of the following conditions :-
 - (a) The Jalkar which has been declared Parta or is in the process of being declared Parta.
 - (b) The Jalkar which has an average depth of less than four feet deep between 15th December to 15th January and there may be a possibility of perennial water retaining capacity by increasing its depth.
 - (c) The Jalkar in which there is a possibility of increasing its water retaining capacity by developing embankments.
 - (d) The Jalkar in which there is a possibility of increasing its water retention capacity upto 50% by making improvement in the water approach system of the Jalkar.
 - (e) The Jalkar pertaining to which letter of consent is received from any financial institution, Bank or Government for financial assistance for its proper development.
- (ii) The information of date and place for the Long Term settlement of selected Jalkars shall be sent to the following by the registered post :
 - (a) All fishermen Co-operative Societies under whose area of operation the Jalkar is situated.
 - (b) The Mukhia of the concerned Panchayat.
 - (c) The State Level Fishermen Co-operative Federation and
 - (d) The Block Development Officer, Circle Officer, Divisional Deputy Director (Fisheries), Deputy Development Commissioner and Collector with a request to display it on the notice board of their offices.
- (iii) In the notice to be issued for settlement the name of Jalkar, full address, amount of Reserve deposit and period of settlement shall be mentioned. This notice shall be issued at least twenty one days before the date of settlement.
- (iv) The beneficiaries shall be selected by the 'Managing Committee' at the rate of one acre per fishermen member. A group leader will be nominated by the 'Managing Committee' in case more than one, beneficiaries are selected.

- (v) For long term settlement, the District Fisheries Officer shall receive applications only from those trained fishermen who are residents of the same Block in which the Jalkar is situated. If there are more than one trained applicant, the Jalkar shall be settled with fisherman or group of fishermen whose residence is nearest to the Jalkar.
- (vi) After settlement the Collector will create charge on the Jalkar for obtaining loan.
- (vii) The settlement with the beneficiaries shall be made with the following terms :-
 - (a) It shall be compulsory to execute the registered agreement, within one month of the issue of the settlement order. Expenses incurred on registration shall be borne by the beneficiaries.
 - (b) It shall be compulsory to deposit the total amount of reserve deposit of one year within 15 days of the issue of sanction order of the settlement. During the period of settlement, the total amount of reserve deposit of every year shall be deposited prior to 15th July.
 - (c) It will be compulsory for the beneficiary to develop the Jalkar within 2 years from the date of issue of the settlement order.
 - (d) In case of violation of any of the terms of settlement by the beneficiaries, the Collector may cancel the settlement but the beneficiary shall be given an opportunity to be heard before taking such a decision.

7. Short Term Settlement :-

- (i) Excluding the Jalkars selected for Long Term Settlement, Short Term Settlement of all other Jalkars shall be made on the Reserve Deposit amount with the non-defaulter Fishermen Co-operative Societies operating within the geographical area of the Block or to the members of disqualified Fishermen Co-operative Societies.
- (ii) The competent authority for the approval of short term settlement of the Jalkar, shall be the following :-
 - (a) The District Fisheries Officer for the Jalkars of Annual Reserve Deposit up to five thousand.
 - (b) The Deputy Director of the range for all the Jalkars of Annual Reserve Deposit more than Rupees five thousand and up to twenty thousands.
 - (c) The Director Fisheries for all the Jalkars of Annual Reserve Deposit more than twenty thousands and up to one lakh rupees.
 - (d) Settlement of all the Jalkars of Annual reserve deposit more than one lakh rupees shall be approved by the state government.

Provided that the State Government shall have the power to re-determine the above limit of prescribed amounts after an interval of every five years by notification published in the official Gazette.
- (iii) It will be compulsory for the Fishermen Co-operative Societies to enclose following documents with their application to the District Fisheries Officer for settlement of Jalkars.
 - (a) A proof relating to the payment of current year audit fee and Audit report of the previous two years, issued by the co-operative department.
 - (b) A certificate of last election and a proof regarding area of operation of the society.

- (c) A proceeding of Annual General Meeting of the preceding year in which there should be a clear description of settlement made with members by the society.
- (d) With the approval of the Managing Committee of the society, a village wise and Panchayat wise list of Jalkars along with the names of the applicant fishermen member/members with whom the settlement is proposed. If the settlement of any Jalkar is proposed with more than one member, then the name of the group leader.
- (iv) For ensuring the settlement, the District Fisheries Officer shall send a notice Block wise with information of date, place future settlement and proportion of Jalkars in their share to all concerned fishermen Co-operative societies by registered post before 31st March. The copy of this information shall be given to the Collector, Deputy Development Commissioner, Additional Collector, Concerned Sub-divisional Officers, Circle Officers, Block Development Officers, Pramukh of Panchayat Samiti with a request to display it on the Notice Board of their offices. For Singhara & Makhana-cum- fish Jalkars this notice shall be sent before 30th June.
- (v) It shall be compulsory for Fishermen Co-operative Societies to submit their applications in the office of District Fisheries Officer with all enclosures before 30th April for short term settlement. But in special circumstances, for reasons to be recorded in writing, the Collector may give a direction to District Fisheries Officer to receive application from the society by 31st May. The last date of submitting application for the settlement of Singhara & Makhana-cum-fish jalkar, shall be 31st July. In special circumstances, for reasons to be recorded in writing the collector may give direction to District Fisheries Officers to receive application from the society by 31st August.
- (vi) Applications with all relevant documents shall be examined by the District Fisheries Officer within 15 days from the date of receipt of these applications. If an application is found defective, an information through registered post shall be sent by the District Fisheries Officer giving 15 days time to concerned societies for correction of defects. If no information in respect of defects is given to the □
ेवबपमजल इल जीम मदक व िविनत ूममो तिवउ जीम कंजम व ितमबमपचज व िजीम ंचसपबंजपवदए पज ूपसस be deemed that the society is competent to get settlement.
- (vii) If the original or corrected application submitted by the society for settlement is found free from defect, the order for settlement of Jalkars shall be issued to society by the District Fisheries Officer before 15th June. After 15th June, but such order, can be issued only with the prior approval of Collector Order for settlement for Singhara & Makhana-cum-fish Jalkar, may be issued by the District Fisheries Officer before 15th September but after 15th September, such order may be issued only with the prior approval of collector.
- (viii) If more than one Fishermen Co-operative Societies are eligible for settlement of Jalkars in a Block, then settlement of Jalkars shall be made among them in proportion of the number of all classes of Jalkars and the number of the members of them.
- (ix) The share of the Jalkars of disqualified societies of a block shall be settled for five years by limited bid with the non – defaulter members of that society

residing in the same block where the Jalkar is situated. But only one Jalkar shall be settled with one person.

- (x) Even if the jalkar is not settled after two attempts by a limited bid then it shall be settled by open bid according to provision laid down in section – 8.
- (xi) Reserved Deposit Jalkars of more than fifteen thousand rupees shall be done by limited/open bid for five years under the Chairmanship of the Deputy Director Fisheries of the Range.
- (xii) The settlement shall be made on the following conditions :-
 - (a) If sum total of Reserve deposit of settled Jalkars is less than twenty thousand rupees, the total amount shall be deposited in one installment within twenty one days of settlement.
 - (b) If sum total of Reserve deposit of settled Jalkars is more than twenty thousand rupees, 50% of the total Reserve deposit amount or twenty thousand rupees which ever is more shall be deposited within twenty one days of the settlement and second installment shall be deposited before 31st January but for Singhara & Makhana-cum-fish Jalkar, 2nd installment shall be deposited before 31st March.

Provided that facility of payment of total Reserve deposit amount in two installments shall be given only to those societies which have also given the facility of payment of total amount in two installments to their members .

- (c) If the amount is not deposited by the fixed date, the District Fisheries Officer shall immediately issue show cause notice to the society and after 15 days of the show cause shall cancel the settlement. If the settlement is cancelled these Jalkars shall be settled with the members of the society as per the provision of sub section (9) of section 7 of this Act.
- (d) The amount of Reserve deposit fixed for settlement of Jalkars with members by societies shall not be more than 15 % of the amount of Government reserve deposit.
- (e) Within twenty one days of settlement, the society shall make available to the District Fisheries Officer, Parwana issued along with a village-wise and panchayatwise list of amount received for settlement from its fisherman / fishermen members. Issuance of a provisional parwana shall be prohibited.

Provided that if the settlement is in contravention of the provisions of section 10 of this act, the Parwana shall be issued only after due correction of that settlement of that particular Jalkar as per provision of section 10.

- (f) It will be the responsibility of the District Fisheries Officer to enter into a तमहपेजमतमक ंहतममउमदज ूपजी जीम ेवबपमजल ूपजीपद जूव ूममो व िपेेनपदह च्त्तूदंण्

Provided that after lapse of the said period, order for executing agreement may be given by Collector after obtaining explanation. In a situation where agreement is not executed in the extended period, settlement may be cancelled by District Fisheries Officer after the approval of Collector and after asking show cause from the society. Expenses incurred on registration shall be borne by society.

- (g) The Reserve Deposit amount shall be deposited after incorporating the annual percentage increase in the Reserve Deposit Amount as recommended by the 'Reserve Deposit Fixation Committee'.
- (h) On the demand of District Fisheries Officer and his senior Departmental officers, the Society will make available for inspection of records / Register / papers concerning with distribution of Jalkars.
- (i) In case of violation of the terms of settlement, the District Fisheries Officer may cancel the settlement with prior approval of the Collector. But, before obtaining the approval of the Collector the society shall be given an opportunity to defend its case and to take corrective steps.
- (j) If society refuses to take settlement of a particular Jalkar or all Jalkars before the expiry of the current settlement period and enclose a resolution of its managing committee with its application then settlement of this / these Jalkars shall be cancelled for the next financial year and settled by limited bid for the valid period of reserve jama as per procedure laid down in section 8.

8. Settlement of Jalkars by Limited Bid :-

- (i) The information of date and place of bid of Jalkars shall be sent to the following by registered post :-
 - (a) Ineligible Fishermen Cooperative Society, where limited bid is proposed among its members.
 - (b) Mukhiya of concerned panchayat.
 - (c) Pramukh of Panchyat Samiti.
 - (d) Ex-settlee or Group leader.
 - (e) Block Development Officer, Circle Officer, Divisional Deputy Director (Fisheries), Deputy Development Commissioner and Collector with a request to display it on the notice board of their offices.
- (ii) The bid notice shall contain the name of the Jalkar, full address, 'rakba' (area), amount of Reserve Deposit, period of settlement and the minimum number of members with whom settlement shall be made. This notice shall be issued at least twenty one days before the date of the bid.
- (iii) Only person/persons, who deposit the full amount of Reserve Deposit as security before the bid, shall take part in the bid.
- (iv) If the highest bidder fails to deposit the prescribed amount within two working days, the second highest bidder shall be given an opportunity to take settlement and the amount of security of the highest bidder shall be forfeited.
- (v) If the second highest bidder fails to deposit his bid amount within the next two working days, then his amount of security shall also be forfeited and an opportunity will be given serially to the last highest bidder to take settlement as prescribed above .
- (vi) After deposit of prescribed bid amount, offer money shall not be considered under any circumstance.
- (vii) Parwana for fishing shall be issued to the bidder within a week of deposit of prescribed bid amount.
- (viii) Registered agreement shall be executed within one month of issue of Parwana. Expenses incurred on registration shall be borne by the settlee.

9. Settlement of Jalkars at a time :-

- (i) The short term settlement of all Jalkars situated in a Block shall be done together in the same settlement year for five years.
- (ii) After completion of the earlier period of settlement, the Jalkars settled before the date of enactment of the Act, will be settled for the remaining period of first lot of Jalkars settled in the Block after the enactment of this Act.
- (iii) If the settlement of Jalkar / Jalkars is cancelled before the completion of the period of five years, then its settlement shall be done again within two months for the remaining period of five years.

10. Distribution of Jalkars :-

- (i) Before submitting an application for settlement of Jalkars, the society shall enlist all the applications of its members willing to take settlement of Jalkars. The name of Jalkars, members along with their villages and panchayats should be mentioned in the applications received.
- (ii) After consideration of the enlisted applications by the Managing Committee of the Society, a list of proposed distribution of Jalkars among its members shall be prepared considering the following points :-
 - (a) Generally distribution of Jalkar will be proposed among members of the village in which the Jalkar is situated. If members in desired number are not available in that village then the distribution of Jalkar may be proposed with the members of nearest village or other villages of the Panchayat. Even after this, member in desired number are not available, then distribution of Jalkars may be proposed among members of the neighbouring Panchayats.
 - (b) As far as possible, the distribution of Jalkars shall be made to a group of members. Chairman / Secretary of the society will select a group leader after calling a meeting of members of the group and information will be given to all members of their rights and share.
 - (c) While preparing a proposal for distribution of Jalkar with a group the number of members shall be fixed keeping a mind the reserve deposit and water area of Jalkars.

11. Declaration of Parta :- Site inspection report will be placed before the Reserve Deposit Fixation Committee by District Fisheries Officer, if the Jalkar remains unsettled after two limited bids. After considering the facts mentioned in the report this committee shall refix their reserve deposit amount or shall declare them temporarily parta and may make recommendation to the Managing Committee for long term settlement.

12. Claims of Reschedulement / Remission :-

(i) Claim for Reschedulement / Remission may be made only in the case of damage by natural calamity such as earthquake, flood, drought or fish epidemic. Claim of remission will not be admissible for damage caused by other reasons.

- (ii) Application for claim of remission/ reschedulement by Society will be received in the office of the District Fisheries Officer within two months of occurrence of natural calamity. Along with the application, a copy of the proceeding of meeting of the managing committee of the society shall be enclosed, in which member wise amount of proposed reschedulement / remission is clearly mentioned.

(iii) The managing committee may consider the claim of reschedulement/remission only after receipt of concerned certificate of natural calamity by Collector and / or fish epidemic certificate by Divisional Deputy Director (Fisheries).

(iv) The amount of remission will not be more than the amount of the next installment and the period of reschedulement will not be more than the तमउंपदपदह चमतपवक व िेमजजसमउमदजण् क्तंपदह व िूंजमत तिवउ जंदोए तमेमतअवपते ंदक mauns for irrigation shall be prohibited. District Fisheries Officer may order for drawing of water for irrigation when the water level is minimum average five feets in these jalkars.

(v) The society shall not be deemed to be a debtor till the final decision of the government on the claim of legal remission.

;अपद्ध क्तंपदह व िूंजमत तिवउ जंदोए तमेमतअवपते ंदक उंनदे वित पततपहंजपवद ेींसस इम prohibited. District Fisheries Officer may order for drawing of water for irrigation when the water level is minimum average five feets in these jalkars.

13. Fishing Prohibition :-

(i) Fishing in rivers shall be prohibited from 15th June to 15th August.

;पपद्ध थ्यीपदह दमज वत ळपसस दमज ूपजी समे जींद 4 बउण् डमो ेप्रम ेींसस इम चतवीपइपजमक पद rivers.

(iii) Fishing of fingerlings of culturable fishes of any species shall be prohibited.

(iv) Putting of fence or any obstruction restricting the movement of fish shall be prohibited in rivers and reservoir.

(v) Use of dynamite or explosives, poison and poisonous chemicals for fishing shall be prohibited.

14. Appeal and Revision :-

(i) An appeal against all decisions regarding short term settlement taken by District Fisheries Officer and Deputy Director may be filed before the Director Fisheries.

(ii) An appeal against of all decisions taken by Collector and Director Fisheries may be filed in the Court of Departmental Commissioner.

(iii) An appeal against all decisions regarding short term settlement taken by the government may be filed in the court of Member, Board of Revenue.

(iv) Appeal may be filed within thirty days from the date of the original order. The appeal shall be disposed of within two months essentially after giving an opportunity of hearing to the parties concerned under the process fixed by the government.

In the disposal of appeal, no interim order / stay order shall be passed. No investment shall be made in the disputed Jalkars by any party in the period of an appeal .

15. Power to make Rules :- The State Government may by notification, make Rules for implementation of all or any of the provisions of this Act.

16. Bar of Jurisdiction of Court :- Save in so far as expressly provided in this Act, no Civil or Revenue Court shall have any jurisdiction in respect of dispute concerning settlement of Jalkars.

17. Offences and Penalties :-

(i) It shall be an offence under this Act if –

- (a) Any officer or member of a Fishermen Co-operative Society, having obtained settlement of Jalkars, intentionally neglects or refuses to do any act required to be done or to furnish any information required to be furnished by this Act.
- (b) Any officer or member of any Fishermen Cooperative Society, having obtained settlement of Jalkars, willfully makes a false return or furnishes false information.
- (c) Any officer or member of any Fishermen co-operative society sublets Jalkars जव दवद. पीमतउंद वत हपअमे पीपदह तपहीजे जव दवद. पीमतउंद इल नदंनजीवतप्रमक sale.
- (d) Intentional water pollution encroachment in Jalkars, disfiguration of structure of Jalkars and
- (e) In spite of direction given by any Gazetted officer of Directorate, if the Secretary or member of a fishermen co-operative society fails to hand over or refuses to hand over or escapes to hand over the required records /Register.

(ii) Any person who shall commit offenses under sub-section (i) and (v) of Section 13 and sub-section (i) of this section, shall be punishable with the imprisonment up to six months or a fine of Rs. 500 or with both. Such offence shall be बवहदप्रंडिसमण्

18. बवहदप्रंदबम व िवमिदबम रू.

- (i) No court inferior to that of a Magistrate of the Second Class shall try any offence under this Act.
- (ii) Any legal proceeding for prosecution for an offence committed under this Act may not be initiated without the previous sanction of the Director Fisheries, and he shall give the person a reasonable opportunity of being heard before giving sanction of prosecution.

19. Removal of difficulty :-

- (i) If any practical difficulty arises in implementation of the provisions of this Act the State Government may, as occasion may require, by notification published in official Gazette, do anything which is not inconsistent with the provisions of this Act for the purpose of removing the difficulty.
- (ii) If any doubt arises in context of constitution or interpretation of the provisions of this Act then it may be referred to State Government for decision.

20. Repeal and Savings

- (i) All departmental rules / orders / circulars concerned with settlement of Jalkars management and appeal which are contrary to provisions of this Act are hereby repealed.
- (ii) Notwithstanding anything contrary in any other law, Act, ordinance or any rules, regulation, circulars being into force for the time being; this act shall have overriding. Anything done or any action taken before the commencement of this Act, shall be deemed to be done or action taken under this Act as if it were into force for the time being.

बिहार जलकर प्रबंधन विधेयक & 2006

पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग, बिहार पटना से संबंधित जलकरों की बन्दोबस्ती के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ; यथा -

1. लागू, विस्तार और आरम्भ -

- (i) यह अधिनियम बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम -2006 कहा जा सकेगा ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (iii) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -

(i) “निरर्हित मत्स्यजीवी सहयोग समिति” से अभिप्रेत है वह समिति जो जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु जिला

मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निरर्हित पायी गयी हो।

(ii) “अभिप्रेत” से अभिप्रेत है वह समिति जो बन्दोबस्ती हेतु समिति को आवेदन दिया हो ।

(iii) “जलक्षेत्र” से अभिप्रेत है पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग, बिहार, पोखर, वगैरह,

चैर, <क, त्य'क; , eu, >hy vkfn ftuesa eRL;] fla?kkM+k ,oa उत्पादन होता हो ।

(iv) “जलक्षेत्र” से अभिप्रेत है राजस्व खतियान अभिलेख में अभिलिखित उक्त जलकर का कुल क्षेत्र ।

(v) “जिला मत्स्य पदाधिकारी” से अभिप्रेत है सरकार द्वारा अधिसूचित जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उत्पादन होता है ।

(vi) “पति-पत्नी” से अभिप्रेत है पति-पत्नी, vo;Ld iq=k ,oa vfookfgr iqf=k;kj A

(vii) “बन्दोबस्ती वर्ष” से अभिप्रेत है एक जुलाई से 30 जून की अवधि, किन्तु सिंघाड़ा एवं मखाना जलकरों

के लिए यह अवधि एक अक्टूबर से 30 सितम्बर होगी।

(viii) “अभिप्रेत” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो पेशेवर मत्स्य पालन/शिकारमाही करता हो ।

(ix) “मत्स्यजीवी सहयोग समिति” से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं स्वावलंबी

सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अधीन निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी

सहयोग समिति जिसमें

सदस्य केवल मछुआ हो ।

(x) “मत्स्य पालन क्षेत्रा” से अभिप्रेत है वह जलक्षेत्रा जिसमें मत्स्य पालन सम्भव हो ।

(xi) “lhfer Mkd” से अभिप्रेत है वह डाक जिसमें संबंधित प्रखंड के निवासी मछुआ ही भाग ले सकेंगे ,

जहाँ जलकर अवस्थित हो ।

(xii) “çf'kf{kr eNqv” से अभिप्रेत है वह मछुआ जो मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो ।

(xiii) “Lo;a

lgk;rk lewg” से अभिप्रेत है प्रशिक्षित मछुआ का समूह ।

(xiv) “प्रबन्ध समिति” से अभिप्रेत है वह समिति जो निम्नलिखित सदस्य को मिलाकर गठित की

गयी हो

(क) lekgRrkZ

v/;{k

(ख) mi fodkl vk;qDr

(ग) vij lekgRrkZ

mik/;{

k

(घ) .mi eRL; funs'kd (परिक्षेत्रा)

lnL;

(ङ.) जिला सहकारिता पदाधिकारी

lnL;

(च) स्थानीय जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी

lnL;

(छ) सरकार द्वारा मनोनीत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के

lnL;

प्रतिनिधि (ज) सरकार द्वारा मनोनीत प्रगतिशील मत्स्य

lnL;

(झ) जिला मत्स्य पदाधिकारी

सदस्य सचिव

(xv) “lqjf{kr tek fu/kkZj.k lfefr” से अभिप्रेत है वह समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य

होंगे

(क) mi eRL; funs'kd(परिक्षेत्रा)

v/;{k

(ख) सरकार द्वारा मनोनीत मत्स्यजीवी सहयोग समिति

lnL;

के प्रतिनिधि (ग) सरकार द्वारा मनोनीत प्रगतिशील मत्स्य

lnL;

पालक के प्रतिनिधि (घ) जिला मत्स्य पदाधिकारी

lnL; lfpo

3. जलकरों की सूची एवं वर्गीकरण :-

(i) मत्स्य निदेशालय के अधीन सभी जलकरों की प्रखण्डवार सूची, ftlesa iapk;rokj ,oa xzkeokj, जलकरों का नाम, खतियानी क्षेत्रा, जलक्षेत्रा रकबा, उत्पादन एवं सुरक्षित जमा राशि उल्लिखित हो, ftyk eRL; dk;kZy; esa ladfyr ,oa la/kkfjr dh tk;xh A

(ii) जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा जलकरों के उत्पादन क्षमता एवं

उनके जलक्षेत्रा के रकबा के आधार पर जलकरों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया जायगा - यथा, उत्तम, मध्यम एवं निम्न ।

4. **लजिफ़ा क्र तैक** (i) लजिफ़ा क्र तैक फु/ककज.क लफ़ि क्र, प्रत्येक पाँच वर्ष के मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित सभी जलकरों के वार्षिक उत्पादन के आँकड़ों का मूल्यांकन कर जलकरों के

निदेशक मत्स्य को पाँच वर्षों की अवधि के पूर्व भी किसी जलकर के वार्षिक उत्पादन क्षमता का पुनः मूल्यांकन करने हेतु आदेश सुरक्षित जमा निर्धारण समिति को देने का अधिकार होगा । (ii) लजिफ़ा क्र तैक फु/ककज.क लफ़ि क्र द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद, फ़ायदा; पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित जलकर उत्पाद के बाजार बिक्री मूल्य के आँकड़ों का मूल्यांकन कर इनका सरकारी

(iii) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद, नियत वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं जलकरों के उत्पाद के बिक्री मूल्य के आधार पर सभी जलकरों का सुरक्षित जमा राशि नियत

निदेशक मत्स्य को पाँच वर्षों की अवधि के पूर्व भी किसी जलकर के वार्षिक उत्पादन क्षमता का पुनः मूल्यांकन करने हेतु आदेश सुरक्षित जमा निर्धारण समिति को देने का अधिकार होगा । (ii) लजिफ़ा क्र तैक फु/ककज.क लफ़ि क्र द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद, फ़ायदा; पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित जलकर उत्पाद के बाजार बिक्री मूल्य के आँकड़ों का मूल्यांकन कर इनका सरकारी

(iv) लजिफ़ा क्र तैक फु/ककज.क लफ़ि क्र को अधिकार होगा कि वह सुरक्षित जमा राशि की वार्षिक वृद्धि हेतु कोई प्रतिशत, जो पाँच प्रतिशत से अनधिक हो, नियत कर सकेगी । समिति द्वारा नियत प्रतिशत के अनुरूप आगामी चार वर्षों में सुरक्षित जमा राशि का नियतिकरण जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जायगा ।

5. बन्दोबस्ती

(i) जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (ii) में वर्णित सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से पाँच बन्दोबस्ती वर्षों के लिए की जायगी ।

(ii) जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती समाहर्ता के अनुमोदन से दस वर्षों के लिए की जायगी ।

(iii) इस अधिनियम के प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, निदेशक, मत्स्य द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से उन जलकरों की बन्दोबस्ती अधिकतम दस वर्षों के लिए, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ की जा सकेगी, जिनका विकास किसी सरकारी या वित्तीय संस्थान या बैंक की योजना के अधीन किया गया हो या किया जा रहा हो अथवा किए जाने का निर्णय हुआ हो ।

6.

दीर्घकालीन बन्दोबस्ती

(i) प्रबंध समिति द्वारा चयनित चार हेक्टर तक के जलक्षेत्रा वाले जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती प्रशिक्षित मछुआ/प्रशिक्षित मछुआरों के स्वयं सहायता समूह के साथ ही की जायगी । केवल उन्हीं जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती की जा सकेगी जो निम्नलिखित में से कम से

कम किसी भी एक शर्त को पूरा करते हों :-

(d) वह जलकर जो परता घोषित किया जा चुका हो अथवा परता घोषित किए जाने की प्रक्रिया में हो ।

([k] वह जलकर जिसकी औसतन गहराई 15 दिसम्बर से 15 जनवरी के बीच चार फीट से कम हो एवं उसकी गहराई वृद्धि करके जल संग्रह क्षमता को बारह मासी बनाने की सम्भावना हो ।

(x) वह जलकर जिसमें बाँध का विकास कर जल संग्रह क्षमता में वृद्धि की सम्भावना हो ।

(?k) वह जलकर जिसके जल पहुँच प्रणाली में विकास करके 50 प्रतिशत तक जल संग्रह क्षमता में वृद्धि की सम्भावना हो ।

(Mñ) वह जलकर जिसके सम्बन्ध में किसी वित्त प्रदायी संस्था, cSad ;k ljdkj ls mlds leqfpr विकास हेतु वित्त पोषण की सहमति पत्रा प्राप्त हो ।

(ii) दीर्घकालीन बन्दोबस्ती हेतु चयनित जलकरों के बन्दोबस्ती की तिथि एवं स्थान की जानकारी के साथ एक नोटिस निबंधित डाक से जिला मत्स्य पदाधिकारी निम्नलिखित को भेजेंगे :-

(d) संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति जिनके कार्यक्षेत्रा अन्तर्गत वह जलकर अवस्थित है, ([k] lEcfU/kr iapk;r ds eqf[k;k]

(x) jkT; Lrjh; eRL; lgdkjh la?k ,oa

(?k) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रमण्डलीय उप मत्स्य निदेशक, mi fodkl vk;qDr

एवं समाहर्ता को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने कार्यालय के सूचना पट पर इसे प्रदर्शित करा

nsa A

(iii) बन्दोबस्ती की तिथि के कम से कम इक्कीस दिन पहले जलकर का नाम, iwjk irk, lqjf{kr tek की राशि एवं बन्दोबस्ती की अवधि उल्लिखित करते हुए नोटिस निर्गत की जायगी ।

(iv) एक एकड़ जलक्षेत्रा प्रति मछुआ सदस्य की दर से हिताधिकारियों का चयन प्रबंध समिति द्वारा की जायगी। एक से अधिक हिताधिकारियों के चयन होने पर, प्रबंध समिति द्वारा एक ग्रुप लीडर का मनोनयन किया tk;xk A

(v) जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उन प्रशिक्षित मछुआ, जो उसी प्रखण्ड के निवासी हो जिसमें जलकर पड़ता हो, से ही दीर्घकालीन बन्दोबस्ती हेतु आवेदन प्राप्त किया जायगा । एक से अधिक प्रशिक्षित आवेदनकर्ता होने की दशा में जलकर से निकटतम निवास करने वाले मछुआ या मछुआ समूह के साथ जलकर की बन्दोबस्ती dh tk;xh A

(vi) बन्दोबस्ती के उपरांत जलकर पर ऋण प्राप्त करने हेतु समाहर्ता प्रभार

सृजित करेंगे ।

(vii) हिताधिकारियों के साथ बन्दोबस्ती निम्नलिखित शर्तों पर की जायगी -

(d) बन्दोबस्ती के आदेश निर्गत होने के एक माह के भीतर निबंधित एकरारनामा निष्पादित करना

अनिवार्य होगा । निबंधन पर होने वाले व्यय का वहन हिताधिकारियों द्वारा किया जायगा ।

([k) बन्दोबस्ती के आदेश निर्गमन के 15 दिनों के भीतर एक वर्ष की सुरक्षित जमा की राशि एक मुश्त

जमा करना अनिवार्य होगा और बन्दोबस्ती की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 15

जुलाई के पूर्व

lqjf{kr tek dh

jkf'k tek dh tk;xh A

(x) बन्दोबस्ती आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के भीतर हिताधिकारियों को जलकर का विकास करना अनिवार्य होगा ।

(?k) हिताधिकारियों द्वारा बन्दोबस्ती के किसी शर्त के उल्लंघन किए जाने पर समाहर्त्ता द्वारा

हिताधिकारियों को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद बन्दोबस्ती को रद्द किया जा सकेगा । 7. **अल्पकालीन बन्दोबस्ती** &

(i) दीर्घकालीन बन्दोबस्ती हेतु चयनित जलकरों को छोड़कर अन्य सभी जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती प्रखण्ड के भौगोलिक क्षेत्रा में कार्यरत अव्यतिक्रमी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ सुरक्षित जमा राशि पर या निरर्हित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मछुआ सदस्यों के साथ की जायगी ।

(ii) जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नलिखित होंगे &-

(क)

पाँच हजार रूपये तक वार्षिक सुरक्षित जमा वाले सभी प्रकार के जलकरों के लिए जिला मत्स्य

पदाधिकारी,

(ख) पाँच हजार से अधिक एवं बीस हजार रूपये तक वार्षिक सुरक्षित जमा वाले सभी प्रकार के

जलकरों के लिए परिक्षेत्रा के उप मत्स्य निदेशक,

(ग) बीस हजार रूपये से अधिक एवं एक लाख रूपये तक सुरक्षित जमा वाले सभी प्रकार के जलकरों

ds fy, funs'kd eRL; ,oa

(घ) एक लाख रूपये से अधिक सुरक्षित जमा वाले सभी प्रकार के जलकरों की बन्दोबस्ती के लिए

राज्य

सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

परन्तु, राज्य सरकार को उपर्युक्त विहित राशि की सीमा को प्रत्येक पाँच वर्षों के अन्तराल के बाद राजपत्रा में प्रकाशित

अधिसूचना द्वारा पुनः विनिश्चित करने की शक्ति होगी । (iii) जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी को दिए गए आवेदन के साथ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों द्वारा निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा &-

(d) चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व के दो वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वर्तमान वर्ष का अंकेक्षण शुल्क

भुगतान से संबंधित सहकारिता विभाग का प्रमाण पत्रा,

(lk) अंतिम निवारण का प्रमाण पत्रा, वैध सदस्यता सूची एवं समिति के कार्यक्षेत्र का सबूत,

(x) गत वर्ष के वार्षिक आम सभा की कार्यवाही जिसमें समिति द्वारा सदस्यों के साथ की गई

बन्दोबस्ती का स्पष्ट विवरण हो एवं

(?k)समिति की प्रबन्धकारिणीद्वारा अनुमोदित ग्रामवार एवं पंचायतवार जलकरों की सूचीds lkFk

vkosnd eNqvK lnL;/सदस्यों का नाम जिसके साथ बन्दोबस्ती प्रस्तावित हैA;fn ,d ls अधिक सदस्यों के साथ किसी जलकर की बन्दोबस्ती प्रस्तावित हो तो ग्रुप लीडर का नाम । (iv) जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा 31 मार्च के पूर्व प्रखण्डवार सभी सम्बन्धित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को आगामी बन्दोबस्ती की तिथि, स्थान एवं उनके हिस्से के जलकरों के अनुपात की जानकारी के साथ एक सूचना निबंधित डाक द्वारा दी जायगी । इस सूचना की प्रति जिला पदाधिकारी, उप विकास

आयुक्त, अपर समाहर्ता, परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक, सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति के प्रमुख को इस अनुरोध के साथ दी जायगी कि वे अपने कार्यालय के सूचना-पट पर इसे प्रदर्शित करा दें। सिंघाड़ा एवं मखाना सह मत्स्य जलकरों के लिए यह सूचना 30 जून के पूर्व भेजी जायेगी।

(v) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन सभी अनुलग्नकों के साथ 30 अप्रैल के पूर्व देना अनिवार्य होगा परन्तु विशेष परिस्थिति में समाहर्ता लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से, 31 मई तक समिति से आवेदन प्राप्त करने का निदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी को दे सकेंगे । सिंघाड़ा एवं मखाना सह मत्स्य जलकरों के लिए बन्दोबस्ती हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। समाहर्ता द्वारा विशेष परिस्थिति में निदेश लिखित रूप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, 31 अगस्त तक समिति से आवेदन प्राप्त करने हेतु निदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी को दे सकेंगे।

(vi) आवेदन प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ आवेदन की जाँच कर ली जायगी । यदि कोई आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा संबंधित समिति को त्रुटि सुधार के लिए पन्द्रह दिनों का

समय देते हुए निबंधित डाक द्वारा सूचना दी जायगी। यदि आवेदन प्राप्त होने के चार सप्ताह तक त्राुटियों के सम्बन्ध में समिति को कोई सूचना नहीं दी जाती है तो यह माना जायगा कि समिति बन्दोबस्ती पाने हेतु सक्षम है।

(vii) यदि समिति द्वारा दिए गए भूल/सुधार किया गया आवेदन त्राुटि मुक्त पाया जाता है तो जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु आदेश 15 जून के पूर्व निर्गत किया जाएगा

किन्तु 15 जून के बाद बन्दोबस्ती हेतु ऐसा आदेश समाहर्ता के अनुमोदनोपरान्त ही निर्गत किया जा सकेगा। सिंघाड़ा एवं मखाना सह मत्स्य जलकरों की बन्दोवस्ती हेतु आदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा 15 सितम्बर के पूर्व निर्गत किया जायेगा किन्तु 15 सितम्बर के बाद समाहर्ता के अनुमोदनोपरान्त ,slk gh vkns'k fuxZr fd;k tk ldsxkA

(viii) यदि प्रखंड में एक से अधिक मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ बन्दोवस्ती हेतु पात्रा हो तो उनके बीच जलकरों की बन्दोवस्ती सभी वर्ग के जलकरों की संख्या एवं उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात में बन्दोवस्ती की जायगी।

(ix) प्रखण्ड में निरर्हित समितियों के हिस्से के जलकरों की बन्दोबस्ती उन समितियों के अव्यतिक्रमी मछुआ सदस्यों, जो जलकर के प्रखंड के निवासी हों, के बीच ही सीमित डाक द्वारा पाँच वर्षों के लिए की जायगी। परन्तु एक व्यक्ति के साथ एक जलकर की ही बन्दोवस्ती की जायेगी।

(x) दो बार सीमित डाक से बन्दोबस्ती के प्रयास के बाद भी बन्दोबस्ती नहीं होती है तो खुले डाक से धारा - 8 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(xi) पन्द्रह हजार रुपये से उपर सुरक्षित जमा वाले जलकरों की सीमित/खुली डाक परिक्षेत्रा के उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में पाँच वर्षों के लिए की जाएगी।

(xii) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ बन्दोबस्ती निम्नलिखित शर्तों पर की जायगी :-

(d) यदि बन्दोबस्त जलकरों के वार्षिक सुरक्षित जमा राशि का योग बीस हजार रूपये से कम हो तो बन्दोबस्ती के इक्कीस दिनों के भीतर कुल राशि एक मुश्त जमा की जायगी।

([k) यदि बन्दोबस्त जलकरों के वार्षिक सुरक्षित जमा का योग बीस हजार रूपये से अधिक हो तो कुल वार्षिक सुरक्षित जमा राशि का पचास प्रतिशत या बीस हजार रूपये, जो भी अधिक हो, बन्दोबस्ती के इक्कीस दिनों के भीतर एवं द्वितीय किस्त की अदायगी 31 जनवरी के पूर्व की जायगी। किन्तु सिंघाड़ा एवं मखाना सह

मत्स्य जलकरों के लिए द्वितीय किस्त की अदायगी 31 मार्च के पूर्व की

tk;sxhA

परन्तु उन्हीं समितियों को कुल सुरक्षित जमा राशि की अदायगी दो किस्तों में करने की सुविधा दी जायगी जिन समितियों ने अपने सदस्यों को यह सुविधा दी हो ।

(x) यदि नियत तिथि तक राशि जमा नहीं की गयी हो तो जिला मत्स्य पदाधिकारी समिति को तत्क्षण कारण पृच्छा नोटिश जारी करेंगे और इसके पन्द्रह दिनों के बाद बन्दोबस्ती के दावा को अभिलिखित कारण दर्शाते हुए उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्रा) के अनुमोदन से रद्द कर सकेंगे । यदि बन्दोबस्ती रद्द की जाती है तो इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (ix) के प्रावधान के अनुसार इस समिति के सदस्यों के साथ जलकरों की बन्दोबस्ती करेंगे ।

(?k) समितियों द्वारा सदस्यों के साथ जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि सरकारी सुरक्षित जमा राशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(Mñ) बन्दोबस्ती के इक्कीस दिनों के भीतर समिति औपबन्धिक पट्टा निर्गत कर उसकी ग्रामवार एवं iapk;rokj lwph, बन्दोबस्ती द्वारा सदस्यों से प्राप्त राशि की सूची एवं सुरक्षित जमा की प्रथम किस्त की राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध करायगी । इनकी प्राप्ति के एक पक्ष के

भीतर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित जलकरों की सूची की जाँच करते हुए सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर परवाना निर्गत किया जायगा ।

परन्तु यदि समिति द्वारा की गई बन्दोबस्ती इस अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अतिलंघत में हो, तो जलकर विशेष की बन्दोबस्ती में सुधार कराकर ही उक्त जलकर का

परवाना निर्गत किया जायगा । औपबन्धिक परवाना निषेध रहेगा ।

(p) समिति को परवाना निर्गत करने के दो सप्ताह के भीतर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उसके साथ निबंधित एकरारनामा किया जायगा ।

परन्तु उक्त अवधि बीत जाने के बाद भी समाहर्ता द्वारा एक माह के अंदर एकरारनामा करने का आदेश दिया जा सकेगा ।

यदि समिति द्वारा विस्तारित अवधि में एकरारनामा नहीं

किया जाय तो जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उससे कारण पृच्छा कर समाहर्ता के अनुमोदनोपरान्त बन्दोबस्ती को रद्द किया जा सकेगा । निबंधन पर व्यय का वहन समिति द्वारा

fd;k tk;xk A

(N) lqjf{kr tek fu/kkZfj.k lfevr }kjk lqjf{kr tek dh jkf'k dh okf'kZd o`f) gsrq vuq'kaflr प्रतिशत को समाविष्ट करने के बाद सुरक्षित जमा की राशि की अदायगी की जायगी ।

(t) समिति द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं उनके वरीय विभागीय पदाधिकारी के माँग पर जलकरों ds forj.k laca/kh lHkh vfHkys[k@iath@dkxtr miyC/k dj;k tk;xk A

(>) समिति द्वारा बन्दोबस्ती के किसी शर्त के उल्लंघन किए जाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समाहर्ता के

अनुमोदनोपरांत बन्दोबस्ती रद्द किया जा सकेगा । परन्तु समाहर्ता से अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व समिति को अपना पक्ष रखने एवं सुधार करने का एक अवसर दिया जाएगा ।

(×k) यदि समिति किसी जलकर विशेष अथवा सभी जलकरों को चालू बन्दोबस्ती की अवधि समाप्त

होने से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष से बन्दोबस्ती लेने से लिखित अनिच्छा व्यक्त करती है और समिति अपने आवेदन के

साथ कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव संलग्न करती है तो आगामी

वित्तीय वर्ष से उस जलकर/जलकरों की बन्दोबस्ती रद्द कर सुरक्षित जमा की वैध अवधि तक बन्दोबस्ती धारा - 8 में विहित प्रक्रिया की अनुपालन की जायेगी ।

8. सीमित डाक द्वारा जलकरों की बन्दोबस्ती &

(i) जलकरों की डाक की तिथि एवं स्थान की सूचना के साथ एक नोटिस निबंधित डाक से निम्नलिखित को भेजी जायगी & -

(d) निरर्हित मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जहाँ उसके सदस्यों के बीच सीमित डाक प्रस्तावित हो । ([k] lEcU/kr iapk;r ds eqf[k;k

(x) पंचायत समिति के प्रमुख

(?k) पूर्व बन्दोबस्तधारी सदस्य या पूर्व ग्रुप-लीडर

(Mñ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रमण्डलीय उप मत्स्य निदेशक, mi fodkl vk;qDr एवं समाहर्ता को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने कार्यालय के सूचना पट पर इसे प्रदर्शित करा

nsa A

(ii) डाक की नोटिस में जलकर का नाम, iwjk irk, रकबा (क्षेत्र), lqjf{kr tek dh jkf'k, बन्दोबस्ती की अवधि एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख होगा । यह सूचना डाक की तिथि से कम से कम bDdhl fnu iwoZ fuxZr dh tk;xh A

(iii) डाक में केवल वे व्यक्ति भाग ले सकेंगे जो सुरक्षित जमा की पूरी राशि प्रतिभूति के रूप में बोली लगाने से iwoZ tek djsaxs A

(iv) यदि उच्चतम डाक वक्ता अगले दो कार्य दिवस के भीतर में विहित की गयी राशि

जमा करने में असफल हो जाता है तो द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती लेने का अवसर दिया जायगा और प्रथम उच्चतम डाक वक्ता की प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायगी ।

(v) यदि द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता अपने बोली की राशि अगले दो कार्य दिवस के भीतर जमा करने में असफल हो जाते हैं तो उनकी भी प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायगी और क्रमवार अंतिम उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती लेने का अवसर उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार दिया जायगा ।

(vi) बोली लगाने की fofgr jkf'k ds tek ds ckn, vkWaQjeuh ij fdlh Hkh ifjLFkfr esa fopkj ugha fd;k tk,xk A

(vii) बोली लगाने की विहित राशि जमा करने के एक सप्ताह के भीतर सफल डाक वक्ता को शिकारमाही का परवाना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन उपरान्त निर्गत किया जाएगा ।

(viii) परवाना निर्गत करने के एक माह के भीतर निबंधित एकरारनामा करना होगा । निबंधन पर व्यय का वहन iêsnkj }kjk fd;k tk,xk A

9. जलकरों की एक मुश्त बन्दोबस्ती :-

(i) प्रखण्ड में स्थित सभी जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती एक साथ, एक ही बन्दोबस्ती वर्ष में की tk,xh A

(ii) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व बन्दोबस्त जलकरों की बंदोबस्ती पूर्व नियत अवधि समाप्त होने के बाद, इस अधिनियम के अधिनियमितिकरण के बाद प्रखण्ड में प्रथम लाँट के जलकरों के अवशेष अवधि के लिए ही की जायगी ।

(iii) यदि जलकर/जलकरों की बन्दोबस्ती निर्धारित तिथि के पूर्व रद्द कर दी गयी हो तो उसकी बन्दोबस्ती पुनः दो माह के अन्दर प्रथम लाँट के जलकरों की बन्दोबस्ती के अवशेष अवधि के लिए ही की जायगी । (iv) इस अधिनियम के अधिनियमितिकरण के बाद पूर्व से बन्दोबस्त अप्रैल श्रेणी की बन्दोबस्ती का अवधि

विस्तार तीन माह का अनुपातिक राजस्व लेकर पूर्व पट्टेदार को तीस जून तक किया जाएगा । 10. जलकरों का वितरण :-

(i) जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन देने के पूर्व समिति बन्दोबस्ती लेने हेतु इच्छुक अपने मछुआ सदस्यों से प्राप्त आवेदन को सूचीबद्ध करेगी । प्राप्त आवेदनों में जलकरों एवं सदस्यों के नाम के साथ ग्राम एवं पंचायत का उल्लेख होना चाहिए ।

(ii) सूचीबद्ध आवेदनों पर समिति की प्रबन्धकारिणी द्वारा विचारोपरान्त, सदस्यों को जलकरों के प्रस्तावित वितरण की एक सूची निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायगी :-

(d) सामान्यतया जिस गाँव में जलकर अवस्थित है उसी गाँव के सदस्यों के बीच जलकर का वितरण प्रस्तावित होगा । यदि उस गाँव में

वांछित संख्या में सदस्य उपलब्ध न हों तो समीपस्थ गाँव के

अथवा पंचायत के अन्य गाँव के सदस्यों के साथ जलकर का वितरण प्रस्तावित किया जा सकेगा ।

([k] यथासम्भव, सदस्यों के समूहों के साथ जलकरो को वितरित किया जायगा । समूह के सदस्यों की अधिकार एवं हिस्सा की जानकारी देंगे ।

(x) जलकर का वितरण समूह के साथ करने का प्रस्ताव तैयार करते समय सुरक्षित जमा राशि तथा जलक्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए समूह के सदस्यों की संख्या नियत की जायगी ।

11. परता घोषित किया जाना - दो बार सीमित डाक के बाद जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अबन्दोबस्त जलकरों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन सुरक्षित जमा निर्धारण समिति के समक्ष रखा जायगा । प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों पर विचारोपरांत यह समिति इसके सुरक्षित जमा का पुनर्निर्धारण कर सकेगी अथवा जलकर को अस्थायी परता घोषित करते हुए उसे दीर्घकालीन बन्दोबस्ती की श्रेणी में रखने हेतु प्रबंध समिति को अनुशंसा कर

12. 'jhfkM~;wYesUV' NwV dk nkok &

(i) रीशिड्यूल्मेन्ट छूट का दावा केवल प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, सुखाड, बाढ़ या मछलियों में एगकेकjh से हुए नुकसान के मामले में ही किया जा सकेगा । अन्य कारणों से हुए नुकसान के लिए NwV dk nkok अनुमान्य नहीं होगा ।

(ii) समिति द्वारा रीशिड्यूल्मेन्ट छूट के दावा का आवेदन प्राकृतिक आपदा अथवा मछलियों में महामारी के घटित होने के दो माह के भीतर जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में लिया जाएगा । आवेदन के

साथ समिति की प्रबन्धकारिणी की बैठक की कार्यवाही की प्रति, जिसमें सदस्यवार प्रस्तावित रीशिड्यूल्मेन्ट की अवधि छूट की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो, layXu dh tk; xh A

(iii) जिला पदाधिकारी से प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रमाण पत्रा एवं /या क्षेत्रीय उप निदेशक (मत्स्य) द्वारा महामारी से संबंधित प्रमाण पत्रा उपलब्ध होने पर ही किया गया दावा पर प्रबन्ध समिति विचार कर

ldsxh A

(iv) NwV की राशि अगली किशत की राशि से अनधिक एवं रीशिड्यूल्मेन्ट छूट की अवधि बन्दोबस्ती की शेष अवधि से अनधिक होगी ।

(v) विधिवत छूट के दावे पर जबतक सरकार का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है तबतक समिति को बकायादार नहीं माना जाएगा ।

13. प्रतिषेध &

(i) 15 जून से 15 अगस्त तक की समयावधि में नदियों में शिकारमाही प्रतिषेध

होगी ।

(ii) 4 lsñehñ ls de dk Qklk tky (fxyusV) नदियों में प्रतिषेध होगा ।

(iii) पालने वाली मछलियों के किसी भी नस्ल की अंगुलिकाओं की शिकारमाही नदियों में प्रतिषेध होगी । (iv) मछलियों के आने-जाने के रास्ते पर बाड़ी या किसी प्रकार का घेरा नदियों एवं जलाशयों में प्रतिषेध होगा ।

(v) सभी शिकारमाही हेतु डायनामाईट या विस्फोटक पदार्थ, जहर या अन्य जहरीले पदार्थों का उपयोग प्रतिषेध होगा ।

(vi) तालाबों, चैर एवं मनों से सिंचाई हेतु जल निकासी प्रतिषेध रहेगा । इन जलकरों में कम-से-कम औसतन पाँच फीट जलस्तर होने पर सिंचाई हेतु जल निकासी का आदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी ns
ldsaxs A

14. vihy ,oa fñfotu ¢&

(i) जलकरों के अल्पकालीन बन्दोबस्ती के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं उप मत्स्य निदेशक द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के विरुद्ध अपील निदेशक मत्स्य के समक्ष दाखिल किया जा सकेगा ।

(ii) समहार्ता एवं निदेशक मत्स्य द्वारा लिए गए सभी निर्णय के विरुद्ध अपील विभागीय आयुक्त के U;k;ky; esa nkf[ky fd;k tk
ldsxx A

(iii) जलकरों के अल्पकालीन बन्दोबस्ती के लिये सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील सदस्य jktLo i"kZn ds U;k;ky;
esa nkf[ky fd;k tk ldsxx A

(iv) मूल आदेश की तिथि से तीस दिनों के अन्दर अपील दायर किया जा सकेगा । अपील का निष्पादन सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर देते हुये दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा । इस निष्पादन में कोई अंतरिम आदेश/स्थगनादेश पारित नहीं किया जायगा । अपील की अवधि में किसी पक्षकार द्वारा विवादित जलकरों में कोई निवेश नहीं किया जायगा ।

15. fu;e cukus dh 'kfDr ¢& jkT; ljdkj, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी उपबन्ध के fØ;kUo;u ds fy, fu;e cuk ldsxx A

16. न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ¢- इस अधिनियम में स्पष्टः उपबंधित के सिवाय, fdllh O;ogkj अथवा राजस्व न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन जलकर बन्दोबस्ती सम्बन्धी किसी विवाद के संबंध में अधिकारिता नहीं रहेगी ।

17. vijk/k ,oa 'kfLr;k; ¢&

(i) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि -

(d) जलकर बन्दोबस्ती प्राप्त किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कोई अधिकारी अथवा सदस्य इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित काम करने अथवा अपेक्षित जानकारी देने में साशय उपेक्षा करे अथवा

([k) जलकर बन्दोबस्ती प्राप्त किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कोई अधिकारी अथवा सदस्य

(x) जलकर बन्दोबस्ती प्राप्त किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कोई अधिकारी अथवा सदस्य, इन जलकरों की बन्दोबस्ती किसी गैर मछुआ के साथ करे या गैर मछुआ को अनाधिकृत बिक्रीनामा कर इनमें शिकारमाही का अधिकार दे,

(?k) जलकरों में उद्देश्यपूर्ण जल प्रदूषण, अतिक्रमण, जलकरों के स्वरूप की विकृति एवं

(M-) जलकर बन्दोबस्ती प्राप्त किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कोई अधिकारी अथवा सदस्य मत्स्य निदेशालय के किसी राजपत्राति पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद यदि

अभिलेख/पंजी सौंपने में असफल हो या सौंपने से इंकार करे या सौंपे जाने से अपने को बचाये । (ii) कोई भी व्यक्ति जो धारा 13 के उप धारा (i) से (v) तथा इस धारा के उप धारा (i) के अधीन कोई अपराध करेगा वह छः महीने तक के कारावास या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

ऐसा अपराध संज्ञेय होगा ।

18. **vijk/k dk laKku €&**

(i) द्वितीय श्रेणी के दण्डाधिकारी के न्यायालय से अन्यून न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध

(ii) funs'kd, मत्स्य की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन की कोई विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जा सकेगी तथा अभियोजन की मंजूरी देने के पूर्व वह उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देगा ।

19. **dfBukbZ nwj djuk €&**

(i) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार यथापेक्षित राजपत्रा में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

(ii) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध की बनावट एवं व्याख्या के संदर्भ में कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे

ldsxk A

20. **fujlu ,oa O;ko`fr €&**

- (i) जलकरों की बन्दोबस्ती एवं अपील संबंधित सभी विभागीय नियम/आदेश/परिपत्रा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं, ,r~n }kjk fujLr fd;s tkrs gSa A
- (ii) इस अधिनियम में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, अधिनियम, v/;kns'k vFkok fdlh vU; vkns'k, नियमावली, विनियमावली, परिपत्रा के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम अभिभावी होगा। इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व किया गया कुछ भी या की गयी कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई भी कार्रवाई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम तत्समय प्रवृत्त था।

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2007

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावना - बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 के द्वारा जलकरों की बन्दोबस्ती की नई व्यवस्था लागू करने में अधिनियम में कुछ विसंगतियाँ पायी गयी हैं। अधिनियम के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और जलकरों में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन को c<+kus dh vko';drk gS A

भारत गणराज्य के अठावनवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह संशोधन अधिनियमित हो यथा -

- 1- **laf{kIr uke] foLrkj ,oa vkjEHk A&** (1) यह अधिनियम
- 2- बिहार जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा-2 में संशोधन।- बिहार

जलकर अधिनियम, 2006 की धारा 2 में निम्नलिखित संशोधन करने

(1) धारा-2(viii) में “पेशेवर” शब्द को “ijaijkxr” शब्द से tk;sxk A

(2) धारा-2(xii) में “जो मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया

को “मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित या मत्स्य विज्ञान में मान्यता प्राप्त कोर्स की योग्यता धारण करने वाला मछुआ” शब्द से प्रतिस्थापित किया tk;sxxk A

- (3) धारा-2(xiv) एवं 2(xv) के बाद निम्नलिखित टिप्पणीयाँ जोड़ी
 “टिप्पणी - 1. सरकार द्वारा मनोनीत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि एवं प्रगतिशील मत्स्य पालक के प्रतिनिधि का कार्यकाल सरकार द्वारा यथा नियत या अधिक से अधिक पाँच वर्षों का होगा । 2. मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि एवं प्रगतिशील मत्स्य पालक के प्रतिनिधि का मनोनयन सरकार द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में या उनका कार्यकाल पूरा हो जाने पर समाहर्ता, सुरक्षित

जमा निर्धारण समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए दो गैर सरकारी सदस्यों को भाग लेने के लिए मनोनीत कर सकते हैं ।” (4) धारा-2 के खंड (xv) के बाद निम्नलिखित दो खंड जोड़ी जायेंगी-

“(xvi) - “ निःशुल्क जलकर” से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना द्वारा निःशुल्क शिकारमाही हेतु अधिसूचित किया गया जलक्षेत्र ।” “(xvii) - “परता” से अभिप्रेत है, वह जलकर जिसकी किसी कारण से बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी और अधिनियम की धारा-11 में विहित प्रक्रिया द्वारा उसे इस आशय का घोषित किया गया है ।”

3- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-3 में संशोधन ।-

(1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-3(ii) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा tk;sxxk &

“परन्तु यह कि जिला मत्स्य पदाधिकारी, वर्गीकरण करने के पूर्व प्रस्तावित वर्गीकरण की आम सूचना निकाल कर और उस पर आपत्ति vkeaf=kr dj ,d ekg ds vUnj mudk fu"iknu dj vafre oxhZdj.k djsaxsA**

(2) उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा-3 की उपधारा (ii) के बाद निम्नलिखित नयी उपधाराएं -(iii) एवं (iv) जोड़ी जायेंगी -

“(iii) राज्य सरकार विभिन्न कोटि के जलक्षेत्रों के संबंध में

यह आदेश निर्गत कर सकेगी कि वे उत्तम श्रेणी के हैं, मध्यम श्रेणी के या निम्न Js.kh ds A

(iv) राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा-(iii) के अधीन निर्गत आदेश की वैज्ञानिक मत्स्य विकास की संभावनाओं के आधार पर क्षमता का आकलन dj leh{kk dj ldsxh A**

4- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-4 में संशोधन I- उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा-4 की मूल उपधारा (iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी - “(iv) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति से पूरी होगी।”

5- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-5 में संशोधन I-

(1) उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा-5 की उपधारा (iii) में “मत्स्यजीवी सहयोग lfefr** शब्दों के बाद ^^;k vU;** शब्द को जोड़ा जायेगा -

(2) उक्त अधिनियम 13, 2006 की धारा 5 की उपधारा (iii) के बाद निम्नलिखित एक नयी उपधारा (iv) जोड़ी जायेगी:-

“(iv) राज्य में जलकरों की बन्दोबस्ती का उद्देश्य मछुआ समुदाय के माध्यम से राज्य में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को वैज्ञानिक रूप से बढ़ाकर अधिक से अधिक रोजगार का साधन उपलब्ध कराना है।”

6- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-6 में संशोधन I- उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा-6 की उपधारा (vii) के खंड (घ) के बाद एक नया निम्नलिखित खंड (3) जोड़ा tk;sxk&

“(3) बन्दोबस्ती रद्द कर बकाया राशि वसूलने हेतु निलाम वाद जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दायर किया जायेगा एवं इस जलकर की बन्दोबस्ती /kkjk&7 ds vUrxZr dh tk;sxh A**

7- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-7 में संशोधन I- उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा-7 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे:-

(1) धारा-7(i) में “दीर्घकालीन बन्दोबस्ती हेतु चयनित जलकरों” 'kCn “दीर्घकालीन बन्दोबस्ती हेतु चयनित जलकरों, धारा-5 (iii) के अन्तर्गत चयनित जलकर एवं राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क

शिकारमाही हेतु अधिसूचित जलकर” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(2) धारा-7(ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

“(ii) किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत अल्पकालीन बन्दोबस्ती के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नलिखित होंगे -

(क) एक लाख रुपये तक वार्षिक सुरक्षित जमा के सभी जलकरों के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी,

(ख) एक लाख रुपये से अधिक एवं पाँच लाख रुपये तक सुरक्षित जमा के सभी जलकरों के लिए परिक्षेत्रा

(ग) पाँच लाख रुपये से अधिक एवं बीस लाख रुपये तक वार्षिक सुरक्षित जमा के सभी जलकरों के लिए निदेशक मत्स्य

(घ) बीस लाख रुपये से अधिक सुरक्षित जमा के सभी जलकरों की बन्दोबस्ती के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन

(3) धारा-7(iii) (क) के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जायेगी -

“टिप्पणी-सहकारिता विभाग द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति के अभाव में यदि अंकेक्षण प्रतिवेदन वांछित हो तो मत्स्यजीवी सहयोग समिति मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट के अंकेक्षण प्रतिवेदन को समर्पित कर सकेगी।”

(4) धारा-7(iv) में प्रयुक्त शब्द “एवं उनके हिस्से के जलकरों के विलोपित किये जायेंगे।

(5) धारा-7(viii) में “ik=k” शब्द को “bPNqd** 'kCn ls çfrLFkkfir fd;k जायेगा और धारा-7(viii) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायगा:-

“जलकरों का बंटवारा समिति की आपसी सहमति से fd;k tk,xk A fdlh fookn dh fLFkfr esa

lqjfk tek

निर्धारण समिति कोई निर्णय ले सकेगी

।”

- (6 धारा-7(xii) (च) के परंतुक का अंतिम वाक्य ^{^^}fuca/ku ij
) lfefr }kjk fd;k tk;sxxk A** विलोपित किया जायेगा ।

- 8- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-8 में संशोधन ।-उक्त
13, 2006 की धारा-8 (ii) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “एवं
dh la[k;k** विलोपित किये जायेंगे ।
- 9- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-11 में संशोधन ।-उक्त
13, 2006 की धारा-11 में प्रयुक्त शब्द “दो बार सीमित डाक”
[kqyh Mkd** द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
- 10- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-13 में संशोधन ।- उक्त
अधिनियम, 13, 2006 की धारा-13 की उपधारा (vi) के बाद
निम्नलिखित एक नयी उपधारा (vii) जोड़ी जायेगी -
“(vii) बिगहेड एवं विदेशी मांगुर एवं कृषि
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य
प्रतिबंधित मछली के प्रजनन एवं परिवहन प्रतिषिद्ध
रहेगा ।”
- 11- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-16 में संशोधन ।- उक्त
12- अधिनियम, 2006 की धारा-16 में प्रयुक्त शब्द ^{^^}fdlh O;ogkj
13- vFkok jktLo U;k;ky;** 'kCn ^{^^}fdlh O;ogkj U;k;ky;]
lgdkfjrk fuca/kd U;k;ky; ,oa jktLo U;k;ky; }kjk**
प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-17 में संशोधन ।- mDr
अधिनियम, 13, 2006 की धारा-17(ii) में “प्रयुक्त कोष्ठक एवं
अंक (i) से (v)”क्रमशः कोष्ठक शब्द एवं अंक (i) से (v) एवं
(vii)” द्वारा प्रतिस्थापित fd;s tk;saxs A
- बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-20 में संशोधन ।- उक्त
अधिनियम, 13, 2006 की धारा-20 कर उपधारा (i) निम्नलिखित
द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी &

^{^^}(i) इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व जलकरों

**बन्दोबस्ती संबंधी निर्गत सभी विभागीय नियम,
आदेश एवं ifji=k ,rn~ }kjk fujflr fd, tkrs gSa
A****

BIHAR JALKAR MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT-2007

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR JALKAR MANAGEMENT ACT-2006

Preamble :- Where are some discrepancies have been found in the implementation of new scheme of settlement of Jalkars under **Bihar Jalkar Management Act-2006** and it is necessary to clarify some provisions of the Act and it is necessary to increase the production of qualitative fish production in Jalkars.

Be it enacted by the Legislators of the Republic of India as follows:-

1.Short title, extent and commencement - (i) This Act may be called the **Bihar Jalkar Management (Amendment) Act, 2007**.

(ii) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(iii) It shall come into force at once.

2.Amendment in Section – 2 of Bihar Act 13, 2006 - The following amendments shall be made in Section-2 of the Bihar Jalkar Management Act 2006:-

(1) In Section 2(viii), the word “**Professional**” shall be substituted by the word “**traditional**”.

(2) In Section - 2(xii), the words “**who is trained by Fisheries Department**” shall be substituted by the words “**trained by the Fisheries Department or fishermen having qualification of तमबवहदप्रमक बवनतेमे पद पीमितपमे ेबपमदबमश्**”.

(3) After Section (xiv) and 2(xv), the following notes shall be added:-
“**Note– (i) The term of representative of Fishermen Co-operative society and progressive fish farmers nominated shall be as fixed by the government or maximum period of five years.**

(ii) In case representative of Fishermen Co-operative Society or progressive fish farmers are not nominated by the government, the Collector may nominate two non-government members to take part in the meeting of Reserve Deposit Fixation Committee.

(4) After clause (xv) of Section-2, the following two clauses shall be added-

“(xvi) “**Free jalkar**” means the water area notified for free fishing by the government from time to time.

(xvii) “**Parta**” means that Jalkar which has not been settled for any reason and that has been declared so by prescribed procedure in Section-11 of the Act.”

3. Amendment in Section - 3 of Bihar Act 13, 2006 - The following amendment

shall be made in Section -3:-

- (1) The following Proviso shall be added after Section-3(ii) of the said Act 2006 :-

“Provided that the District Fisheries Officer shall public notice of proposed classification and invite objections on it and shall dispose them off within a month before making final classification.”

- (2) The following new subsections (iii) and (iv) shall be added after subsection (ii) of section 3 of the said Act, 13, 2006:-

“(iii) The state government may issue order in relation to the different categories of water-bodies as to whether they shall be classified as of Fine category, Medium category or Low category.

(iv) The state government may review the order issued under (iii) above, on the basis of the potential of production based on possible scientific fisheries development”.

4. Amendment in Section – 4 of the Bihar Act, 13, 2006 - Original sub-section(iv) of section 4 of the said Act 13, 2006 shall be substituted by the Following :-

“(iv) Quorum of Reserve Deposit Fixation Committee shall be by the presence of at least three members.

5. Amendment in Section – 5 of the Bihar Act, 13, 2006 - The following amendments shall be made in Section-5:-

- (1) In subsection (iii) of Section 5 after the words **“Fishermen Co-operative Society”** the words **“or other”** shall be added.
- (2) After subsection (iii) of Section 5 of the said Act 13, 2006, a following new subsection (iv) shall be added :-

**शुपअद्धैमजजसमउमदज व िश्रंसांते पद जीम ेजंजम पे जव इम
ं पउमक ंज उंगपउप्रपदह fish production and productivity scientifically
and increase more and more avenues of employment for fisher folk.”**

6. Amendment in Section – 6 of the Bihar Act, 13, 2006 - The following clause (e) shall be added after clause (d) of subsection (vii) of section 6 of the said Act, 2006:-

“(e) After cancellation of settlement for recovery of arrear amount Certificate case shall be filed by the District Fishery Officer and settlement of this Jalkar shall be made under Section 7.”

7. Amendment in Section – 7 of the Bihar Act, 13, 2006 - The following amendments shall be made in section 7 of the said Act, 2006 :-

- (1) In section 7 (i) the words **“selected Jalkars for long term settlement”** shall be substituted by the words **“selected Jalkars for Long term settlement selected Jalkar under Section 5 and notified Jalkar for Free Fishing by the state government”.**
- (2) Section 7(ii) shall be substituted by the following :-
“(ii) The following shall be the Authority for approval of Short Term Settlement under any Fishermen Co-operative Society or other provisions of the Act :-

- (a) **The District Fisheries Officer for Jalkars of Annual Reserve Deposit up to One Lac rupees.**
- (b) **The Deputy Director of the range for Jalkars of Annual Reserve Deposit more than One Lac rupees up to Five Lac rupees**
- (c) **The Director Fisheries for all the Jalkars of Annual Reserve Deposit more than Five Lac rupees up to Twenty Lac rupees, and**
- (d) **The State government for jalkar of Annual Reserve Deposit more than Twenty Lac rupees.” (3)**

The following Note shall be added after Section 7 (iii) (a) :-

“Note – If due to non-appointment of auditor by Co-operative Department if audit report is nor ready, Fishermen Co-operative Society may submit the audit report of तमबवहदप्रमक बींतजमतमक ।बबवनदजंदजण्श

- (4) The words **“and proportion of Jalkars in their share”** used in Section 7(iv) shall be deleted.
 - (5) The word **“eligible”** shall be replace by the word **“desirous”** and following sentences shall be added in Section 7(viii):-
“Division of Jalkars shall be made with self consent of the society. In case of any dispute, Reserve Deposit Fixation Committee may take any decision.”
 - (6) The last sentence of the proviso of Section 7(xii) (f). **“Expenses incurred on registration shall be borne by the society”** shall be deleted.
8. **Amendment in Section 8 of the Bihar Act 13, 2006 – The words “and the minimum number of members”** used in Section 8(ii) shall be deleted.
 9. **Amendment in Section 11 of the Bihar Act 13, 2006 – the words “two limited bids”** used in Section 11 of the said Act, 2006 shall be substituted by the words **“two open bids”**.
 10. **Amendment of Section 13 of the Bihar Act, 13, 2006 – A following new subsection (vii) shall be added after subsection (vi) of Section 13 of the said Act 2006:-**
“(vii) Breeding and Transportation of Big head and foreign Mangur and other prohibited fishes by Ministry of Agriculture, Government of India from time to time will remain Prohibited.”
 11. **Amendment of Section 16 of the Bihar Act, 13, 2006 – The words “Civil or Revenue Court”** used in Section 16 of the said Act, 2006 shall be substituted by the words **“any Civil Court, Court of Co-operative Registrar and Revenue Court.”**
 12. **Amendment of 17 of the Bihar Act, 13, 2006 – The brackets and figures “(i) to (v)”** used in Section 17(ii) of the said Act, 2006 shall be

समिति के साथ किया जाए ताकि बेहतर प्रबंधन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में

भी सहायक हो,

और, चूंकि, यह आवश्यक माना गया है कि प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की संख्या में वृद्धि होने के

कारण मछुआरों के बीच विवाद बढ़े हैं जिससे मत्स्य उत्पादकता एवं मत्स्य उत्पादन कुप्रभावित हुई हैं ,

2

बिहार गजट (असाधारण) 28 अप्रैल 2010

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । - (i) यह अधिनियम बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम,

2010 dgk tk ldsxkA

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय एवं

विभिन्न प्रावधानों के प्रवृत्त होने की विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी।

2. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा - 2 में संशोधन। - धारा-2 की उप-धारा (ix) में प्रयुक्त शब्द और अंक

“एवं स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996” विलोपित किये जाएंगे।

3. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा- 5 में संशोधन। - धारा-5 की उप-धारा (1) में “पाँच” शब्द को “सात”

शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा-14 में संशोधन।-निम्नलिखित संशोधन बिहार जलकर प्रबंधन

अधिनियम, 13, 2006 की धारा-14 में किए जाएंगे:-

(i) /kkjk&14 dh mi&/kkjk (i) में “निदेशक, मत्स्य” शब्दों को “प्रमण्डलीय आयुक्त” शब्दों से प्रतिस्थापित

fd;k tk,xkA

(ii) /kkjk&14 dh mi&/kkjk (iii) में शब्द “अल्पकालीन बन्दोबस्ती के लिए” के बाद शब्द “प्रमण्डलीय

आयुक्त एवं” जोड़े जायेंगे।

28 अप्रैल 2010

la0 ,y0th0 1&17@2010@yst&148—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2010 को अनुमत बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010dk fuEufyflkr अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के

etg]

आदेश से,
beke]

सरकार के प्रभारी

सचिव।

[Bihar Act 20, 2010]

THE BIHAR FISH JALKAR MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT,
2010

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR FISH JALKAR MANAGEMENT ACT, 2006 [Bihar Act 13 of
2006]*Preamble:—*WHEREAS, there is
immense potential of Fishery development in the State of Bihar,AND, WHEREAS, the State Government has launched various schemes to
augment fishery production by introduction of technology and imparting
training to the traditional fisherman,AND, WHEREAS, the policy of the State Government is to settle sairats
comprised of water bodies with traditional Fishermen Co-operative Society for
enhanced fish production which will ultimately add to GSDP of the state,AND, WHEREAS, the increasing number of Fishermen Co-operative
Societies in each block is resulting in large number of disputes amongst
Fishermen Societies, adversely affecting fish production and productivity in the
State,BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty One
year of the Republic of India as follows:—

बिहार गजट (असाधारण) 28 अप्रैल 2010

3

*1.Short Title, Extent and Commencement.—*This Act may be
called The Fish Jalkar Management (Amendment) Act, 2010

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force on such date as the State Government
may, by notification, in the Official Gazette, appoint, and different dates for
coming into force for different provisions of this Act, may be appointed.*2.Amendment in Section-2 of Bihar Act, 13, 2006.—* In Section 2 (ix),
the words and figure "and Bihar Self Supporting Co-operative Societies
Act, 1996" shall be deleted.*3.Amendment in Section-5 of Bihar Act, 13, 2006.—* In sub-section
(i) of Section 5, the word "five" shall be substituted by the word "seven".*4.Amendment in Section 14 of Bihar Act, 13, 2006.—* The following
amendments shall be made in Section-14 of the Bihar Fish Jalkar
Management Act, 2006:-(1) In sub-section (i) of Section 14, the words " Director,
Fisheries " shall be substituted by the words "
Divisional Commissioner".(2) In sub-section (iii) of Section 14, after the words " Short
term settlement taken by the ", the words " Divisional
Commissioner and the" shall be added.

अधीक, सिचवालय मुणालय,

बहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बहार गजट (असाधारण) 298-571+400-डोटपी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

निबंधन सं या पी0ट0-40

बहार गजट

[सधारण [क बहार सरकार हर क०शत

12 वण 14 श

) पटन शशिवर3 अग: त

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

3 vxLr 2018

laCE ,y0th0&01&11@2018@81@yst—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 जुलाई 2018 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

से,

बिहार-राज्यपाल के आदेश

vf[kys'k dqekj tSu]

ljdkj ds lfpoA=

2

बहार गजट

(बिहार अधिनियम 12, 2018)

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2018

=बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 13, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना। चूँकि, बिहार राज्य में मत्स्य विकास की अपार संभावनाएँ हैं;

और, चूँकि, राज्य सरकार द्वारा परम्परागत मछुआरों को प्रशिक्षित करते हुए और तकनीकी सहायता देते हुए

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं;

और, चूँकि, राज्य सरकार की यह नीति है कि जलकरों की बन्दोबस्ती, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ

किया जाए, ताकि बेहतर प्रबंधन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हों;

और, चूँकि, प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सदस्यों के बीच विवाद की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रावधानों को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

भारत-गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । -

- (1) यह अधिनियम बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा - 5 में संशोधन। - (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा -5 की

उपधारा (i) में प्रयुक्त शब्द "क्र" को शब्द "किप" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा:-

“मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ जितनी अवधि के लिए जलकरों की बंदोबस्ती की जायेगी, उतनी ही अवधि के लिए समिति, अपने सदस्यों को बंदोबस्ती करते हुए पढ़ा fuxZr djsxh^A

(2) धारा- 5 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:-

“परन्तु नई बंदोबस्ती की अवधि, प्रबंध समिति के कार्यकाल की अवधि तक सीमित jgsxh^A

3. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा -7 में संशोधन - (1) उक्त अधिनियम 2006 की धारा -7 (xii)(ख) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:-

“सदस्य, समिति एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के बीच समस्त राशि का लेन-देन बैंक खाता के माध्यम से ही होगा”।

(2) उक्त अधिनियम 2006 की धारा -7 (xii)(ड.) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:-

“जिला मत्स्य पदाधिकारी से परवाना प्राप्त होते ही समिति तत्क्षण अपने सदस्यों को LFkk;h iV~Vk fuxZr djsxh^A

4. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा -13 में संशोधन। उक्त अधिनियम 2006 की धारा -13 (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“मछलियों के आने-जाने के रास्ते पर बाड़ी या किसी प्रकार का घेरा, नदियों एवं जलाशयों में, प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए ही प्रतिबंधित होगा”।

5. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा -17 में संशोधन । - उक्त अधिनियम 2006 की धारा -17 की

उपधारा (i) के खंड (ड.) के बाद निम्नलिखित नया खंड (च) जोड़ा जायेगा:-

“बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा -7 (ii) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा अपने सदस्यों के साथ की गई बन्दोबस्ती की अवधि में परिवर्तन करना”।

बिहार-राज्यपाल
के आदेश से,
vf[kys'k dqekj
tSu]
ljdkj ds lfpoA

बहर गजट

3

3 vxLr 2018

laCE ,yCEthCE&01&11@2018@82@yst—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल

द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2018 को अनुमत बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2018 dk निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय

संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

vf[kys'k dqekj tSu]

ljdkj ds

lfpoA ———

(Bihar Act 12, 2018)

Bihar Fish Jalkar Managemet (Amendment) Act, 2018.

AN

Act

To amend the Bihar Fisheries Jalkar Management Act, 2006 (Bihar Act, 13 of 2006) (As amended time to time)

Preamble: Where as there is immense potential of fisheries development in The State of Bihar.

And whereas, the State has launched various programmes to enhance fish production by introduction of technology and imparting training to the traditional fishermen;

And whereas, the policy of State Government is to settle Jalkars' with Fishermen Co-operative Society so that there is enhancement in fish production along with creating avenues of livelihood;

And whereas, to put an end to the disputes due to increase in the number of members of Fishermen Co-operative Societies in each block, it is necessary to clarify the provisions of the Act.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty ninth year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement. —

(1) This Act may be called the "The Bihar Fish Jalkar Management (Amendment) Act, 2018".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force with immediate effect.

2. Amendment in Section-5 of The Bihar Act 13, 2006.—

(1) The word "Seven" used in sub section(i) of section -5 of said Act 2006 shall be substituted by word 'five' and there after a following sentence shall be added :— "The fishermen Co-operative Society shall settle its Jalkar to its members and shall issue patta for the same period as it is settled to the Co-operative Society."

(2)

The following proviso shall be added at the end of section- 5.—

"Provided that the period of new settlement shall be limited to the period of the tenure of the Managing Committee."

3. Amendment in the Section- 7 The Bihar Act 13, 2006.—

(1) The following sentence shall added in section -7 (xii) (b) of the said Act, 2006:— "All financial transaction between members, Co-operative Society and District Fisheries Officer shall be only through bank account".

(2) The following sentence shall added in section-7 (xii) (e) of the said Act, 2006 :— "After the receipt of parwana from District Fisheries Officer, Co-operative Society shall issue permanent patta to its member immediately".

4

बहर गजट

4. Amendment in Section- 13 of The Bihar Act 13, 2006 :- Sub Section- 13(iv) of the said Act 2006 shall be substituted by the following :—

"Putting fences or any obstruction restricting the movement of fishes shall be prohibited in river and reservoirs only for the period of 15th June to 15th August of each year".

5. Amendment in Section- 17 of The Bihar Act 13, 2006.- The following clause (f) shall be added after clause (e) of sub section (i) of section -17 of the said Act, 2006 :-

"Any Fishermen Co-operative Society, having changed the period of settlement of Jalkars, given to its members without the approval of Competent authority under Section 7 (ii) of the Bihar Fish Jalkar Management Act, 2006."

Bihar,
JAIN,
Government.

By order of the Governor of
AKHILESH KUMAR
Secretary to the

[ध;क संचवलय मणलय

बहर पटन हर कंशत एव# मशूत?

बहर गजट

[सधरण 749%5'1+400%ड+ट,+प+?

Website: <http://egazette.bih.nic.in>